

डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी करने पर जताया केंद्र सरकार का आभार

यह आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहतर कदम : एडीएसईआई

देव केसरी (अरविन्द चन्दन)

गुरुग्राम। केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जारी की गई नियमों की अधिसूचना ने संबंधित इंडस्ट्री में उत्साह भर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एन्टिटीज ऑफ इंडिया ने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे मजबूत कदम करार दिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हेम पांडे ने भारत सरकार की दो दिन पहले 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाये गए नियमों का स्वागत करते हुए कहा कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 डायरेक्ट



सेलिंग इंडस्ट्री के एक नए युग का आगाज़ है। इन रूल्स के आने से देश की जनता में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक भरोसा पैदा होगा। इतना ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियों पर शिंकजा भी कसा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि विगत 5

दिसम्बर को दिल्ली में एक समिट करके केंद्र सरकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए रूल्स बनाने की मांग की गई थी। इस मांग पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने 28 दिसम्बर को नियमों की अधिसूचना जारी कर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राहत दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की और इस संबंध में जल्दी ही केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापन देने की घोषणा कर दी है। गुरुग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी हेम पांडे ने केंद्र सरकार का अभिवादन करते हुए कहा कि भारत सरकार के नए डायरेक्ट सेलिंग नियम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकजूट होकर ये सुनिश्चित करे कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को सही तरीके से लागू करें। नियमों की पालना से इंडस्ट्री को और मजबूती मिलेगी।